

सविस्तर

‘गूगल’ परिघावरची जात

जात या संकल्पनेला आता तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे .

खूप साऱ्या जाती, त्यांचे खूप सारे गट . त्यांचे वर्गीकरण –

उपवर्गीकरण सारे काही आहे समाजमाध्यमी . म्हणूनच जे आडनाव

ओळखता येत नाही ते गूगलला विचारण्याची वृतीही वाढते आहे .

एकाच वेळी आपण प्रगत आणि अश्रमयुगीन काळात जगत असतो, हेच खरे . आता अश्रमयुगीन आणि मध्ययुगीन कालखंडातील रानटीपणा आपण ‘गूगल’जवळही व्यक्त करतो आहोत .



सुहास सरदेशमुख

एखादा शब्द ‘गूगल’वर टाकला की त्या शब्दाचा भोवताल लोक कसा शोधत आहेत हे सांगणारे सूचक शब्दार्थ जोडून त्यांची एक संगती समोर आणून ठेवली जाते. या संगतीमध्ये अलीकडच्या काळातील कल मोठा विलक्षण आणि एक विदारक वास्तव सांगणारा आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक मुलगा डोंगराच्या कड्यावर थांबतो. त्याने आत्महत्या करू नये म्हणून त्याचे वडील आणि आई तिथे येतात. मुलाला समजावताना मुलगा आणि वडील हे दोघेही डोंगरावरून पडतात. काही क्षणात घडलेल्या या घटनेत मुलाची आईही डोंगरावरून उडी मारते. तिघांचा मृत्यू होतो. या तीन माणसांच्या मृत्यूची कारणे शोधणारी मंडळी मग प्रत्येक बाजू तपासायला सुरुवात करतात. खूप जण वेगवेगळे अर्थ लावतात. पण या शोधात गूगलकडून एक कलही दाखवला जात होता. तो कल दाखवणारा प्रश्न होता – मृत मुलाच्या आईची जात कोणती होती ? मृत्यूनंतरच्या शोधात जातीचे संदर्भ का तपासले जात असतील ? आपली हळहळ किंवा संवेदना आरोपी किंवा मृत व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे, यावर ठरली जाऊ लागली आहे का ? गूगलची शब्दसंगती तर तेच सुचवते आहे.

संतोष देशमुख यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आल्यानंतर बॉडमध्ये जातवास्तव दृश्य स्वरूपात जाणवू लागले. अगदी एकमेकांच्या दुकानातून माल खरेदी करायची की नाही, येथपर्यंत ती मजल गेली. जातीचे हे गणित एवढे खोलवर रुजले, की शहरात शिकण्यासाठी एकत्र राहणारे विद्यार्थीही सजातीय मित्र शोधू लागले. जात पाहण्याची ही वृत्ती कमी व्हावी म्हणून काही जाणीवपूर्वक प्रयत्नही केले गेले. आडनावारून जात कळते, हे वास्तव पोहोचू नये म्हणून किमान पोलीस दलातून नावपट्टीवर आडनाव काढून टाकण्यात आले. त्याचा सकारात्मक परिणाम वेळूहळू दिसू लागला. पण आजही आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा – ओबीसीमधील तेढ आतमध्ये तशीच खदखत आहे. पुढे गुन्हा घडला की जात पाहण्याची जणू छंदच जडला आहे की काय, असा प्रश्न पडाय़ा असे वातावरण निर्माण झाले. प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यामध्ये ‘मोनालिसा’ प्रसिद्धीस आली तेव्हाही हाच जात शोधणारा कल दिसून आला होता. गौतमी पाटील हिच्या आडनावातील पाटील शब्द आला कसा, याचाही शोध अनेक दिवस गुगलकडेच



विचारला जात होता. आता बौडच्या विलास घुले प्रकरणातही ती जातीची किनार कायम आहे. फलटणमध्ये डॉक्टरच्या मुलीच्या आत्महत्येनंतरही जात शोधली गेली. आता प्रत्येक गुप्ततेत हळहळ व्यक्त करताना जातीचा निकष लागतो आहे का ? –उत्तर सकारात्मक आहे.

कोपडीच्या घटनेनंतर आरक्षणाची चर्चा बंद होऊच नये असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले गेले. यामगे असणारे जात वास्तव आणि गूगलच्या शोधाचे इंजिन याचे संबंध लावले की महाराष्ट्राची प्रगतीसुद्धा कशी जातीयवादी बनली आहे, हे समजून येईल. खरे मराठवाडा अक्षाधिक जातीयवादी केला गेला, की तो मुळातच जातीयवादी आहे ? प्रत्येक बाबतीत जात शोधण्याची वृत्ती आता गूगल शोध इंजिनला कळाली आहे. त्यामुळे ही माणसे जात विचारणार ही संगती यंत्राने पूर्णतः पकडली आहे. पण प्रश्न असा की, आपल्या संवेदना घटनेतील क्रूरता, त्या कुटुंबावर ओढवलेली परिस्थिती यावर अवलंबून आहेत, की तो किंवा ती व्यक्ती आपल्या जातीची असेल तर ते दुःख अधिक अशी मानसिकता होऊ लागली आहे. आता दुःखाला जातीचा आधार दिला जात आहे.

मराठवाड्यात जात वास्तव नेहमीच ठळकपणे व्यक्त होत गेले होते. पूर्वी जेव्हा मराठवाडा विद्यापीठ नामांनराचा प्रश्न हाती घेतला गेला तेव्हा ती वाद दलित – सर्वण असा होता. आजही तो आहेच. सीजेपीचे अभिजित दिपके जंतर-मंतरवर येणार हे जाहीर होताना आणि ते विमानातून उतरल्यानंतर त्यांची जातही आवर्जून सांगितली जात होती. अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी जातीचा उल्लेख करून मिळण्याच्या प्रतिसादाचा लेखाजोखा महाराष्ट्रावर एक विधान मध्यंतरी चर्चेत होते. दिपकेच्या प्रश्नांना सोमन वांगचूक यांच्या उपोषणामुळे धार येत गेली. प्रतिसाद वाढत गेला. अनेकार्थानी भारतीयांची कोंडी फुटली. सरकारविरोधाचा रोष सर्जनशीलपणे व्यक्त होत गेला. एका मोठ्या यशामुळे महाराष्ट्राच्या मनात असणारा दिपके यांच्या जातीचा प्रश्न काहीसा मग्न पडला. पण तो प्रश्न महाराष्ट्राची जातीयवादी जडणघडण अधिक कट्टर बनत चालली असल्याचे ते लक्षण आहे. समाजमाध्यमांमध्ये जातींचे गट आहेत. हे गट जातींची संख्या किती आहे आणि त्यांची ‘व्यवहारात’तील सुलभता जपण्यासाठी वापरले जात आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक जातीचा झेंडा तसे त्याचे ‘पेज’ या संकल्पनेला खतपाणी घातले गेले. प्रश्न काय आहे आणि सोडवणुकीसाठी काय करायला हवे हे तपासण्याऐवजी, प्रश्न कोण विचारतो आहे आणि त्याची जात काय, असा दृष्टिकोन पूर्णतः विकसित झाला आहे. याही पुढे जाऊन मृत आणि गुन्ह्यातील आरोपीची जात पाहून दुःखाची तीव्रता कमी-जास्त केली जात आहे. असेही आडनाव ऐकल्यावर लोक व्यवहार बदलतात. बोलण्यातील टाळण्याचे मुद्दे ठरवले जातात. आता आडनावारून जात कळत नसेल तर गूगलची मदत घेतली जात आहे. हे निकष आता पुढे आणि मृत्यूच्या घटनांमध्येही तपासले जात आहेत. एवढे दिवस आरक्षणाच्या लाभासाठी जात तपासणे साधारण मानले जात होते. आता त्याची व्याप्ती अधिक वाढली आहे.

छावा, शिवसाराख्या संघटना असतील किंवा शिवसंरमससारखी संघटना असेल. संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ मराठवाड्यात अधिक सक्रिय होत्या. ब्राह्मण सभांची अधिवेशनेही मराठवाड्यात दणक्यात झाली होती. परशुरामाची जयंतीही मोठी होत जात आहे. जात वाढते आहे. आता तिला तंत्रज्ञानाची जोड आहे. खूप साऱ्या जाती, त्यांचे खूप सारे गट. त्यांचे वर्गीकरण – उपवर्गीकरण सारे काही आहे समाजमाध्यमी. म्हणूनच जे आडनाव ओळखता येत नाही ते गूगलला विचारण्याची वृत्तीही वाढते आहे. एकाच वेळी आपण प्रगत आणि अश्रमयुगीन काळात जगत असतो, हेच खरे. आता अश्रमयुगीन आणि मध्ययुगीन कालखंडातील रानटीपणा आपण ‘गूगल’जवळही व्यक्त करतो आहोत. आपण प्रगतीच करतो आहोत नाही का ?

डॉ. नीलिमा गुंडी

मुंबईमध्ये एका चर्चासत्रानिमित्ताने माझी प्रा. यास्मिन शेख यांच्याशी ओळख झाली. चर्चासत्रातला त्यांचा सहभाग लक्षात राहिला होता. येताना मुंबई-पुणे प्रवासात त्यांच्याशी छान गप्पा झाल्या. भाषेचे नियम काटेकोरपणे जपणाऱ्या यास्मिनताई या भाषेमुळे जुळणारे भावबंधही जपणाऱ्या आहेत, याचा प्रत्यय आल्यामुळे त्यांच्याविषयी विशेष कुतूहल वाटले. पुढे पुण्यामध्ये विशेषतः मराठी अभ्यास परिषद या संस्थेच्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांची भेट होत राहिली. त्या मुंबईच्या एस. आय. ई. एस. महाविद्यालयात मराठीच्या प्राध्यापक होत्या. श्री. पु. भागवत यांच्या सहकारी प्राध्यापक होत्या. भाषाशास्त्र आणि व्याकरण यांचा त्यांचा उत्तम अभ्यास आहे... वगैरे माहिती मिळत गेली. व्याकरणाच्या प्राध्यापकाच्या सांकेतिक प्रतिमेत त्या बसत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्याविषयीचे कुतूहल वाढतच गेले.

२००७ साली यास्मिनताईचा ‘मराठी शब्दलेखन कोश’ प्रकाशित झाला. मराठी अभ्यास परिषदेचा भाषाविषयक लेखन पुरस्कार त्या कोशाला समारंभपूर्वक देण्यात आला. त्यावेळी मी परिषदेची कार्यवाह होते. त्यामुळे त्यांच्या संशोधनकार्याचे मोल मला जाणून घेता आले. खरंतर, याआधीच त्यांनी मराठी लेखन मार्

शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात विदारक अवस्था...

नाशिक जिल्ह्यातील तीन ते चार तालुके गुजरातच्या सीमेला लागून आहेत. स्थानिक पातळीवर पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्याने आदिवासी बांधव आणि महिला उपचार तसेच बाळंतपणासाठी थेट शेजारील गुजरातमधील शासकीय रुग्णालयांचा आधार घेतात. शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. भाषिक फरकामुळे गुजरातमधील शिक्षण व्यवस्था स्वीकारणे शक्य होत नसल्याने उपलब्ध व्यवस्थेतच भावी पिढीला विदारक अवस्थेत शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

उत्तर महाराष्ट्र

गुजरातला लागून असणाऱ्या पेट तालुक्यातील पाहुची बारी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. या शाळेत २६५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. खचलेला पाया, तडे गेलेल्या भिंती आणि गळके छत यामुळे इमारत धोकादायक बनली. त्यामुळे दोन वर्षांपासून शाळेचे वर्ग परिसरातील कोंदट घरात, अंगणवाडीत भरवले जातात. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या नाशिक जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची अशी अवस्था आहे.

शाळा विद्यार्थ्यांना आकर्षक वाटावी, या उद्देशाने सर्व शिक्षा अभियानात नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांना नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यातून पारंपरिक चौकोनी आकाराच्या वर्गखोल्यांपेवजी पटकोनी वर्गखोल्यांची संकल्पना प्रत्यक्षात आली. मात्र, आज हीच रचना गळतीचे कारण ठरत असल्याकडे काही शिक्षक लक्ष वेधतात. जुनाट पटकोनी आकारातील बहुसंख्य वर्गखोल्यांमध्ये पावसाळ्यात गळतीची समस्या निर्माण होते. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या साडेतीन हजार शाळांमध्ये

अडीच लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये पटकोनी वर्गखोल्या असल्याचे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील अन्य भागांतही यापेक्षा वेगळी स्थिती नसल्याचे ते सांगतात.

बांधकामाच्या वेळी पटकोनी वर्गखोल्यांचे अनेक फायदे सांगण्यात आले होते. कमी जागेत दोन वर्गखोल्या आणि मुखाध्यापकांची खोली बसवता येते. विविध बाजूंना खिडक्या असल्याने वर्गखोल्यांमध्ये नैसर्गिक प्रकाश आणि हवा मुबलक राहते. मात्र, पावसाळ्यात वर्गात जलधारा बरसत असल्याने विद्यार्थ्यांना नीट बसता येत नाही. परिणामी, शाळेचे दैनंदिन कामकाज चालवणेही कठीण होते. स्वमालकीच्या ६,४४१ इमारतीत १२ हजार ४२२ वर्गखोल्या आहेत. ३१ शाळा भाडेतत्त्वावरील तर २८ मोफत स्वरूपातील इमारतीत आणि तीन देऊळ या चवडीवर भरतात. वर्गखोल्यांप्रमाणेच शौचालयांची अवस्थाही चिंताजनक आहे.

जिल्ह्यातील ४० शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालयच नाही. ज्या शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे पाणी आणि स्वच्छतेअभावी त्याचा वापर करणे अडचणीचे ठरते. आता शिक्षण विभागाने ४३७ शाळांमध्ये ८४७ नवीन वर्गखोल्या उभारण्यासाठी, तसेच ४० शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय बांधण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे. गळके वर्ग, पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा अभाव आणि देयके न भरल्यामुळे खंडित होणारा वीजपुरवठा अशा समस्यांच्या विळख्यातही विद्यार्थी शिक्षणाची आस धरून आहेत. त्यांच्याकडून शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी धड रस्ता नसल्याची तक्रार केली जाते.



ब्रिटिशकालीन खोल्यांमध्ये अध्यापन

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या १,८७३ प्राथमिक शाळांमध्ये पावणेदोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र या जिल्ह्यातील काही शाळांच्या इमारतींची स्थिती अद्याप चिंताजनक आहे. काही ठिकाणी ब्रिटिशकालीन वर्गखोल्यांमध्ये आजही अध्यापन सुरू आहे. अलीकडेच बांधण्यात आलेल्या काही वर्गखोल्यांचीही दुरुस्तीअभावी पडझड सुरू झाली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील १,८०० हून अधिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, काही शाळा अद्याप या सुविधेपासून वंचित आहेत. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. पाणी नाही, नियमित स्वच्छता नाही, दरवाजे आणि अन्य साहित्याची दुरुवस्था यामुळे स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य नाहीत. काही शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाही. पोषण आहार तयार करण्यासाठी बाहेरून पाणी आणवे लागते. पाण्याअभावी स्वच्छतेबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होत आहे.

३९७ वर्गखोल्यांची पडझड

नंदुरबार जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. सद्य:स्थितीत ४७७ शाळांना स्वतंत्र इमारती नाहीत. त्यामुळे काही शाळा भाडेतत्त्वावरील जागेत, तर काही ठिकाणी खुल्या आकाशाखाली भरतात. तब्बल ३९७ वर्गखोल्यांची पडझड झाली आहे. आदिवासी उपयोजनेत शाळा बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष नसल्याने नवीन बांधकाम तसेच दुरुस्तीच्या कामांना अडथळे निर्माण होत आहेत. गेल्या दोन वर्षात शाळा बांधकाम आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २६ कोटी रुपयांचा निधी मिळूनही शाळांची अवस्था सुधारलेली नाही. ५२ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. तर तब्बल ३५० स्वच्छतागृहे वापरात नाहीत.

स्वच्छतागृहे दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत

धुळे जिल्हा परिषदेच्या १,०७७ शाळांपैकी २१ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही. तब्बल २०३ शाळांमधील स्वच्छतागृहांना दुरुस्तीची गरज आहे. दुरुस्तीअभावी ही स्वच्छतागृहे उपलब्ध असूनही नसल्यासारखीच आहेत. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मुलांसाठी १,०४६, तर मुलींसाठी १,०६२ अशी एकूण २,१०८ स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत.

वर्गखोल्या नादुरुस्त

कुठे शाळेचे गळणारे छत. तर कुठे तावदानेच गायब, काहीच्या भिंती खचल्या अशा अवस्थेत जिल्हा परिषदेच्या ७१०१ वर्गखोल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या २२२ शाळांमध्ये मुलींना स्वच्छतागृह उपलब्ध नाहीत तर ३३९० शाळांमधील स्वच्छतागृहांचा वापरच होत नाही. मराठवाड्यातील १२५६५ शाळांपैकी ३४५१ शाळांमध्ये वीज जोडणी असून ती देयके न भरल्याने वापरताच येत नाही. २,१४९ शाळांमध्ये वीज उपलब्धच नाही. शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखीळ यांनी सांगितले की शाळा इमारतीसाठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यातून निधी

मराठवाडा

मिळतो. पण अनेक गावांत शाळांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत. मराठवाड्यात ४४३ शाळांमध्ये मुलांना स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत. २,४७७ शाळांमध्ये बांधलेले स्वच्छतागृह वापरले जात नाही. १,६४२ शाळांमध्ये बाकेच नाहीत. १,९६६ शाळांना खळाचे मैदान नाही. खिचडी शिजवण्यासाठी ८५४ शाळांमध्ये निवारा नाही. शाळांमधील वर्गखोल्याची स्थिती नोंदलेली आहे. त्या बांधल्या जायतात, असे आम्ही पाहू. असे मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

‘स्कूल ठीक करे’ आंदोलनावर

वेगवेगळ्या पातळ्यांवर टीका सुरू असली

तरी त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचा आधार असलेल्या

जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वास्तव लपून राहू शकत नाही .

ही दयनीय अवस्था फक्त या शाळांची नाही, तर प्रगत म्हटल्या

जाणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेची आहे .

आमच्या राज्यभरातील वार्ताहरांनी ग्रामीण भागांतील शाळांच्या

परिस्थितीची दाखवलेली ही प्रातिनिधिक झलक ...

समग्र ‘शिक्षा’ अभियान

पश्चिम महाराष्ट्र

धोकादायक वर्गखोल्या, यंत्रणा ढिम्म

सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण

दैनिक जागरण

अनुशासन के अभाव में प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है

दुष्प्रचार का सहारा

लंबे समय से भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कठघरे में खड़े करते आ रहे राहुल गांधी ने यह कहकर इस संगठन के खिलाफ अपने हमलों को नए सिरे से धार देने की ही कोशिश की कि देश में संविधान और आरएसएस के बीच लड़ाई है। राहुल गांधी की ओर से आरएसएस पर नए सिरे से हमला यही बताया है कि वे भाजपा से अपनी राजनीतिक लड़ाई न जीत पाने की खोज में उसके मातृ संगठन पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। वे लगातार यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस संविधान का आदर नहीं करते और वे उसे खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने यह दुष्प्रचार पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के चार सौ पार के नारे के जवाब में शुरू किया था। यह सही है कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों को आम चुनाव में इस दुष्प्रचार का चुनावी लाभ मिला, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। संविधान की प्रति लहखर कोई बात कहने से वह सच नहीं साबित हो जाती। चूंकि राहुल गांधी तथ्यों और तर्कों के स्थान पर दुष्प्रचार की राजनीति पर अधिक जोर देते हैं, इसलिए उन्हें वैसी राजनीतिक सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसकी वे अपेक्षा कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि वे और अधिक दुष्प्रचार की राजनीति का सहारा लेने लगे हैं।

राहुल गांधी ने संविधान और आरएसएस के बीच की लड़ाई के अपने आरोप को बल देने के लिए अनुसूचित जातियों पर अत्याचार और उनसे भेदभाव के मामलों का उल्लेख किया। ऐसा करते हुए उन्होंने वह संकेत करने की कोशिश की कि वे सारे काम भाजपा और आरएसएस के कारण हो रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि वे न तो भाजपा की रीति-नीति से परिचित हैं और न ही आरएसएस की विचारधारा से। यदि उन्होंने इस संगठन की कार्यप्रणाली को समझने की थोड़ी भी कोशिश की होती तो उन्हें पता चलता कि इसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच जाकर कैसे कार्य किए हैं। इस संगठन के अनेक प्रकल्प तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए ही चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को यह भी पता होना चाहिए कि यदि भाजपा आज राजनीतिक रूप से कहीं अधिक सशक्त हो चुकी है तो इसका कारण समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तक उसकी पहुंच है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को अनुसूचित जाति विरोधी साबित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उत्तराखंड दौरे के बाद उनके मंच के कथित शुद्धीकरण का जो मामला उठाया, वह इस तथ्य की अनदेखी को अधिक बयान करता है कि जिस संगठन ने यह काम किया, उसका भाजपा से कोई लेना-देना नहीं। स्पष्ट है कि तथ्यों को अपने हिसाब से मोड़ने से बात बनने वाली नहीं है।

कानून का डर दिखे

यह संभव नहीं है कि हरेक अपराधी के पीछे पुलिस के जवान को तैनात कर दिया जाए। लेकिन, यह संभव है कि हरेक अपराधी के मन में यह डर हो कि गैर-कानूनी काम करने पर पुलिस उसे पकड़ लेगी। अदालत में पेश करेगी। सजा दिलाव देगी। अपराध डर से ही नियंत्रित होता है। बिहार में वर्षों तक अपराधियों के मन में पुलिस का डर बना रहा है। यह उचित समय है कि पुलिस तंत्र जांच करे कि डर कायम है या उसमें कमी आई है। क्योंकि आम लोग महसूस करने लगे हैं कि अपराधियों के मन में कानून का डर कुछ कम हुआ है। राज्य के दूसरे हिस्से के साथ-साथ राजधानी और आसपास के इलाके में हाल में हुई अपराधों की कुछ घटनाएं भी इसकी पुष्टि करती हैं। व्यस्त इलाके में शाम ढलने से पहले गोलीबारी की घटना हो जाती है। साधन के मोर्चे पर अब बिहार पुलिस के पास सब कुछ है। आधुनिक तकनीक के सहारे पुलिस किसी भी अपराधी के ठिकाने का पता लगा सकती है। जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनका उपयोग कर अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस बल की संख्या बढ़ी है। आगे भी इनकी संख्या में वृद्धि होने जा रही है। पुलिस के पास आधुनिक हथियार हैं। वाहन की सुविधाएं पहले से ज्यादा समृद्ध की गई हैं। वैज्ञानिक जांच को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बालिकाओं की सुरक्षा की कमान अब पुलिस दीदी को दी गई है। छात्राओं के साथ अपराध पर अंकुश में इस टीम की महती भूमिका होगी। इन सबके बाद भी अपराधियों का मन बड़े तो इसे चिंता का विषय मानना ही चाहिए।

धरती में छिपे बीज भंडारों का महत्व

मुकुत यास

नावें के आर्कटिक द्वीप समूह में स्थित स्वेलेबार्ड ग्लोबल सीड बाल्ट दुनिया का सबसे मशहूर बीज बैंक है। इसे 'ड्रुम्सट्रे बाल्ट' भी कहा जाता है। यहां लगभग हर देश के पौधों के दस लाख से ज्यादा बीजों के नमूनों का संग्रह है जो आने वाले कल की दुनिया के अनिश्चित भविष्य में खाद्यान्न और दूसरी जरूरी फसलें उगाने के लिए बीजों के आवश्यक बैंकअप को सुनिश्चित करता है।

यह एक तरह से एक वैश्विक बीमा पालिसी की तरह है। लेकिन ड्रुम्सट्रे बाल्ट के इतने शानदार संग्रह की तुलना में कुदरत का सीड बैंक बहुत बड़ा है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा बीज बैंक हमारे पैरों के नीचे छिपा है। यह मृदा बीज बैंक कुदरत का अपना बीजों का बड़ा भंडार है जो जमीन पर, मिट्टी में या पत्तों के ढेर में बिखरा पड़ा है।

एक तरफ जहां स्वेलेबार्ड में बीजों को बहुत ही नियोजित और समन्वित तरीके से संग्रहित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ मृदा बीज बैंक में जमा चीजें

मिट्टी के बीज बैंक मनुष्य की वजह से हो रही जैवविविधता की कमी को भी दर्शाते हैं

अस्त-व्यस्त हैं। यहां बीज बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिरते हैं, हवा में उड़ते हैं, या बाद से फैल जाते हैं। नई रिसर्च से पता चलता है कि मानव गतिविधियों के कारण बीजों के कुदरती भंडार पर असर पड़ रहा है।

नेचर कम्यूनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में विज्ञानियों ने मिट्टी के बीज बैंक के एक वैश्विक डाटाबेस का विश्लेषण किया, जिसमें सभी महाद्वीपों के 94 देशों से एकत्र किए गए मिट्टी के नमूनों के 3,096 रिकार्ड थे। विज्ञानियों की गणना से पता चलता है कि दुनिया भर में मिट्टी की हर वर्ग मीटर सतह में पांच हजार से ज्यादा बीज छिपे हुए हैं।

मिट्टी में बीजों का ज्यादा घनत्व इस बात का सबूत है कि मिट्टी के बीज बैंक पौधों की आबादी के अनिवार्य अंग हैं,

और कई पौधों की प्रजातियों के लिए गड़बड़ी के बाद बसने में बहुमूल्य योगदान करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र में, बीज भंडारों में प्रजातियों की प्रचुरता के पैटर्न अक्सर बीज घनत्व के पैटर्न से अलग होते हैं।

दूसरे शब्दों में, जिन मिट्टियों में कई तरह के पौधों की प्रजातियों के बीज थे, उनमें खुद बीजों की संख्या ज्यादा नहीं थी और बीजों के अधिक घनत्व वाले इलाकों में अक्सर प्रजातियों की ज्यादा विविधता नहीं दिखती थी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि शोधकर्ताओं को इस बात के सबूत मिले कि मानव गतिविधि मिट्टी के बीज बैंक पर बुरा असर डाल सकती है। इससे पता चलता है कि खराब पारिस्थितिक तंत्र को ठीक करने में बीज बैंकों की क्षमता अब सीमित हो गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके अध्ययन के नतीजे चिंताजनक हैं जो दुनिया में स्थापित वनस्पतियों में जैवविविधता घटने के आम रुझान से मेल खाते हैं।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

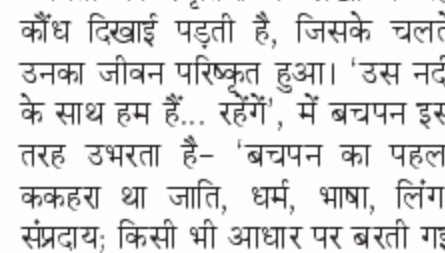


संजय गुप्ता

जब यह स्पष्ट है कि बीए, बीकॉम जैसी डिग्रियां सीधे रोजगार में नहीं बदलती तो फिर इनके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए

कौशल विकास पर नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के कई निष्कर्ष चिंतित करने वाले हैं। इन दिनों युवाओं के हित की चिंता करती दिख रही हैं केंद्र और राज्य सरकारों को इन निष्कर्षों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में जो नौकरियां सृजित हो रही हैं, उनके अनुरूप जैसी शिक्षा की आवश्यकता है, उसमें अनेक खामियां हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष के लगभग 8.7 करोड़ युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन्हें एनआईटी यानी नाट इन एजुकेशन, एम्पलायमेंट एंड ट्रेनिंग श्रेणी में रखा गया है। कुछ युवा लंबे समय तक रोजगार न मिल पाने के कारण एनआईटी श्रेणी में चले जाते हैं।

नीति आयोग के अनुसार कौशल विकास माडल को केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित रखने के बजाय उसे रोजगार और करियर से जोड़ा जाना चाहिए। नीति आयोग ने यह पाया कि केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक ऐसा काम कर रहे हैं, जो उनकी योग्यता के अनुरूप है। इसका मतलब है कि अधिकांश युवाओं को अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि कारोबार जगत के पास जैसी नौकरियां हैं, उनके लायक युवा



व्यक्तिगत सामान बेचने पर भी देना पड़ सकता है टैक्स, जानिए क्या कहते हैं नियम

घर में या किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन, फर्नीचर या आभूषण को व्यक्तिगत सामान माना जाता है और कई बार व्यक्ति को अपने इस सामान के बेचना भी पड़ जाता है। लेकिन कई व्यक्तिगत सामान की बिक्री पर होने वाले लाभ पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसको पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाता है और ऐसे लाभ पर देय नियमों के तहत आयकर देना होता है। **मनीज कुमार** की रिपोर्ट।

क्या होता है व्यक्तिगत सामान

आयकर अधिनियम से सेक्शन 2(14) में व्यक्तिगत सामान की परिभाषा दी गई है। किसी व्यक्ति या किसी अभिन्न परिवार सदस्य के व्यक्तिगत या दैनिक उपयोग में इस्तेमाल होने वाली वस्तु को व्यक्तिगत सामान कहा जात है। इसमें कपड़े, फर्नीचर, बर्तन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन या लैपटॉप शामिल हैं। इनको चल संपत्ति भी कहा जाता है। आयकर कानून के विशेष प्रावधानों के कारण इन सामानों की बिक्री पर होने वाले लाभ पर छूट मिलती है। यानी इन सामानों की बिक्री पर होने वाले लाभ पर कोई कर नहीं देना होता है।

कौन से सामान की बिक्री से लाभ पर टैक्स

आयकर कानूनों के तहत 'व्यक्तिगत सामान' की परिभाषा में आभूषण, पुरातात्विक संग्रह, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां या कोई भी कला का काम शामिल नहीं है। भले ही इन वस्तुओं को व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा गया है। यदि करदाता इनकी बिक्री से कोई लाभ होता है तो उसे आयकर देना होगा। आभूषण की परिभाषा में चांदी, सोना, प्लेटिनम या किसी अन्य कीमती धातु से बने आभूषण या किसी एक या एक से अधिक ऐसी धातुओं वाले मिश्र धातु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों को भी टैक्स उद्देश्यों के लिए आभूषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आभूषण की बिक्री पर ऐसे होती है टैक्स की गणना

मान लीजिए आपके पास तीन लाख रुपये कीमत की सोने की कोई वस्तु है। बाद में आपने इसे पांच लाख रुपये में बेच दिया है या इसके बदले में इतनी ही कीमत वाले नए आभूषण के लिए बदल दिया है तो इस पर आपको दो लाख रुपये का लाभ हुआ है। इस लाभ यानी दो लाख रुपये पर ही आपको टैक्स देना होगा। पूंजीगत लाभ की गणना उसकी होलिडिंग। किसी व्यक्ति के पास वस्तु के रखने का समय। अधि के आधार पर होती है। इसको शार्ट टर्म कैपिटल गेन्स (एसटीसीजी) और लांग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) भी कहा जात है। 12 महीने से कम होलिडिंग अधि पर एसटीसीजी और 12 महीने से अधिक की होलिडिंग अधि पर एलटीसीजी पर लागू होंगे के आधार पर टैक्स देना होता है।

ध्यान रखने योग्य बातें

- किसी भी व्यक्तिगत सामान की बिक्री करने से पहले जांच लें कि उससे होने वाले लाभ पर कर लगेगा या नहीं।
- किसी भी बड़ी खरीद और बिक्री करने पर उसके बिल या रसीद के साथ वह विक्रेता को भी संभालकर रखें।
- यदि आभूषण विरासत या उपहार में मिला है तो पूंजीगत लाभ की गणना पिछले मालिक की खरीद लागत और होलिडिंग अधि को ध्यान में रखकर की जाती है।
- व्यक्तिगत सामान की बिक्री पर होने वाले लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में व्यक्तिगत सामान की बिक्री पर होने वाले नुकसान को अन्य पूंजीगत लाभ या आय के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता है और न ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

भरोसा और जटिल भाषा खतरनाक

पिछले कुछ दिनों से खबरों में एक मिस-सेलिंग की कहानी चल रही है, जो सुनने में सिर्फ अमीर अप्रवासी भारतीय (एसआरआई) से जुड़ी लगती है। इनको एक ऐसा फंड वेवा गया जिसके होने पर शायद ही किसी को यकीन हो। लक्ष्यमवर्ग की कालाईसल मैनेजमेंट कंपनी का यह फंड बुजुर्ग अमेरिकियों से उनकी बेकार पड़ी जीवन बीमा पालिसी खरीदता है। उनका प्रीमियम भरता है और पालिसीधारक की मौत पर लाभ पाता है। रिटर्न खरी कर है, जिसमें पालिसी की कीमत घटाकर



चैरेंद कुमार, संपादक, हिंदी डट वेब्यूरीस/अनलाइन डट काम

बोनस

प्रीमियम जोड़ा जाता है। भारत में ऐसा नभुमफिंड है, पर अमेरिका इस मामले में अजीब जगह है।

निवेश के लिए भारत सबसे अनुकूल

वित्त मंत्री ने कहा, यहां एआइ से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग तक में निवेश के अवसर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी निवेशकों से कहा है कि दुनिया के सभी प्रमुख देशों में अभी भारत में ही निवेश करने का सबसे अनुकूल समय है। शनिवार को शिकागो में अमेरिकी कंपनियों व पूंजी निवेश करने वालों के साथ वार्ता में उन्होंने कहा कि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), मैन्यूफैक्चरिंग, रक्षा निर्माण, फूड प्रोसेसिंग से लेकर वित्त सेवा तक में भारत में निवेश करने पर उन्हें बड़े रिटर्न मिल सकते हैं। कनाडा के बाद अमेरिका के निवेशकों एवं मैन्यूफैक्चर्स को अपने संबंधन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में अभी मजबूत घरेलू मांग है। भारतीय अर्थव्यवस्था का निवेश आधारित विकास हो रहा है। वृहद स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था क्षमता श्रम का योग्य व कुशल मानव श्रम को प्रत्युत्ता है और तेजी से बढ़ता हुआ फिजिकल व डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। निवेश के लिए एक साथ इतना अनुकूल माहौल किसी और देश में नहीं है। सीतारमण ने शिकागो में उद्यमियों से कहा कि भारत में यूरोआइ, आकार, डिजिटलाइज, ओपेनडीसी जैसे कई डिजिटल प्लेटफार्म हैं जिसकी मदद से वे यहां एआइ, एनालिटिक्स व इंजीनियरिंग से जुड़े उत्पाद आसानी से बना सकते हैं। गुजरात स्थिति गिफ्ट सिटी में वित्तीय सेवा से जुड़ी 1250 कंपनियां पूंजीकृत हो चुकी है और यह सिटी गेटवे आफ इंडिया के रूप में काम करने वाला है। वे इसका फायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के मामले में भारत अब असेंबलिंग से बाहर निकल गहन तरीके से उपकरण निर्माण की दिशा में बढ़ रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंकड ईसेटिव के साथ कई अन्य नीतिगत समर्थन भी दे रही है।

वित्त मंत्री ने अमेरिकी निवेशकों से कहा कि भारत में किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि दर्जनों सेक्टर में निवेश का मौका है जहां से वे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के उत्पादन कर सकते हैं। भारत दुनिया की सलाई चैन निर्माण



निर्मला सीतारमण • क्राइड फोटो

का सबसे अनुकूल प्लेटफार्म बन चुका है। वित्त मंत्री अमेरिका में छह दिन तक रहेंगे। इस दौरान वे जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही निवेश अवसरों पर चर्चा के लिए विभिन्न कंपनियों और कारोबारी दिग्गजों के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री कनाडा दौरे पर थीं, जहां दोनों देशों ने अगले पांच साल में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करते हुए 70 अरब डालर तक ले जाने पर सहमति जताई थी। पिछले चार दिनों तक वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान में थे, जहां उन्होंने दर्जनों निवेशक व उद्यमियों को भारत में निवेश के लिए सैद्धांतिक स्तर पर तैयार किया।



क्रिनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

गन्ने की एक किस्म पर



नीति-नियम को हांकता एल्गोरिदम

शशि शेखर

यह घटना रक्षाबंधन के पावन पर्व से दो दिन पहले की है। सोसाइटी के गेट से फोन आया कि मेहंदी लगाने वाला आया है। मेरी बेटी ने एक एप के जरिये बुकिंग की थी। उसके आने का समय 8.30 बजे तय हुआ था। दरवाजा खोला, तो काम के बोझ से थका-हारा एक शख्स खड़ा था। उसको देखते ही लग गया था कि उसमें इतनी शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य नहीं रह बची है कि इस महीन काम को अंजाम दे सके। उसे बैठाया, पानी पिलाया और पूछा- आपको इतनी देर क्यों हो गई?

वह फफक पड़ा, 'अरे मैडम, सुबह से दौड़ रहा हूं। कोई भी महिला समय से न तो काम शुरू कराती है और न ही खत्म होने देती है। उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। नाराज हो गई, तो एप पर या तो शिकायत दर्ज कर देंगी या जीरो नंबर दे देंगी। इससे कंपनी हमें ब्लॉक भी कर सकती है।' वह यहीं नहीं रुका- 'दिन भर बाइक पर दौड़ता हूं। कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाता हूं, तो कभी जलभराव में। कंपनी को हर काम समय पर चाहिए, मगर सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं। पहले गांव में काम करता था, तो कमाई कम थी, लेकिन इज्जत और संतोष था। अब तो ऐसा लगता है, जैसे मशीन बन गया हूं।'

उसकी इस बात से व्यथित मेरी पत्नी और बेटी ने उसे भोजन की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने विनीत भाव से कहा, 'यह कंपनी के नियमों के खिलाफ है और अभी मुझे एक और 'विजिट' पर जाना है। हो सकता है, वहां देरी के कारण सोसाइटी में घुसने न दिया जाए। कल सुबह की पहली बुकिंग भी 8.30 बजे की है।'

हमारे महानगर मृग-मरीचिका बन गए हैं, जहां हर इंसान सिर्फ भटकने को अभिशप्त है।

उसी सुबह खबर पढ़ी थी कि देश में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और इससे उत्साहित कंपनियां गिग वर्कर्स को नई भर्तियां खोल रही हैं। ऐसे श्रमिक मुहैया कराने वाली कंपनियों

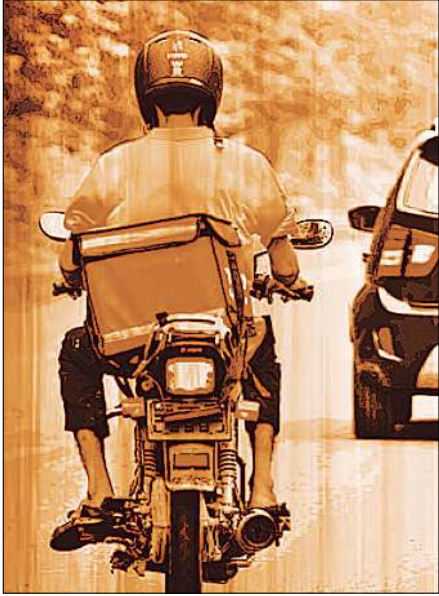
का मानना है कि इस साल 15 से 20 फीसदी ज्यादा, यानी ढाई से पौने तीन लाख तक नए पद सृजित हो सकते हैं। मांग और आपूर्ति के संतुलन को बनाने के लिए भर्तों में आठ से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी आंकी जा रही है। यह स्थिति सिर्फ नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे महानगरों की नहीं है। छोटे शहरों, पहाड़ी इलाकों और वन से घिरे क्षेत्रों तक अधिक लोगों की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान रहे, ये नियुक्तियां निर्तांत अस्थायी होंगी। त्योहारी मांग में कमी के बाद इगमें कटौती की जा सकती है।

ऐसा इससे पहले कई बार देखा जा चुका है। गिग वर्कर्स का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां 'यूज ऐंड थ्रो' का मॉडल अपनाती हैं। इसके लिए किसी को 'बर्खास्त' नहीं किया जाता, बल्कि तकनीकी तरीके अपनाए जाते हैं। दोवाली, दशहरा, नववर्ष, ईद, बकरीद, क्रिसमस या बड़ी कंपनियों के रियायती सीजन खत्म होते ही 'डिलीवरी पार्टनर्स' का इन्स्टैंट हटा दिया जाता है। उनका एप उन्हें नए 'डिलीवरी

स्लॉट्स' उपलब्ध नहीं कराता और तमाम तकनीकी कारणों से उनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है।

इस नए प्रचलन ने रोजगार की मूल मानवीय भावना को समाप्त कर दिया है। जो लोग निरंतर कमाई करते रहते हैं, उन्हें भी अमानवीय दबावों से गुजरना पड़ता है। समय पर डिलीवरी के दबाव में गिग वर्कर वाहन तेज चलाते हैं और दुर्घटना का शिकार बनते हैं। हालिया सर्वे के अनुसार, भारत में 27 फीसदी गिग वर्कर छोटी या बड़ी दुर्घटनाओं के शिकार बनते हैं। बोझ लादकर लगातार बाइक चलाने के कारण उनमें मांसपेशियों से संबंधित दिक्कतें आती हैं। इनका इलाज लंबा और खर्चीला है। मांसपेशियों के रोग देह को आराम देने के तलबगार होते हैं। लंबे समय तक यदि एप में 'लॉग इन' न करें, तो 'लॉक' हो जाने का खतरा भी बना रहता है।

इसके बावजूद गिग वर्कर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।



नीति आयोग के अनुसार, साल 2020-21 में भारत में 77 लाख गिग वर्कर हुआ करते थे। इस श्रम-बल में पिछले चार वर्षों में 55 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयोग का अनुमान है कि अगले चार साल में इनकी संख्या 2.3 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा गैर-कृषि कार्य से जुड़े कुल श्रमिकों का 6.7 फीसदी होगा। सन् 2010 से जोर पकड़ने वाला यह सिलसिला इस मुकाम पर पहुंचेगा, ऐसा किसी ने सोचा तक न था।

यहां यह भी जान लेने में कोई हर्ज नहीं कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस समूची 'वर्क फोर्स' का 22 से 23

फीसदी हिस्सा पाया जाता है, बाकी महानगर इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। आज अमेजन, जोमैटो, फ्लिपकार्ट एवं रिव्वी के अलावा तमाम इलाकाई एप्स की पहुंच दुर्गम पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के गांवों तक है। इस नई संस्कृति ने भारतीय श्रम बाजार का चेहरा-मोहरा बदल दिया है। चमकती हुई यूनिफॉर्म, साफ-सुथरी टेक्सी या बाइक और चटपट भुगतान के लिए बैंक से सीधे ट्रांसफर की सुविधा, ये तामझाम ऊपरी तौर पर आकर्षित करते हैं, लेकिन इसके पीछे 'इल्युजन ऑफ फॉर्मलाइजेशन' यानी औपचारिकरण का भ्रम छिपा हुआ है।

यही वजह है कि इसने रोजगार के मानवीय रिश्तों को तोड़कर रख दिया है। पहले 'नियुक्त और नियोक्ता' के बीच मानवीय रिश्ता होता था। अच्छा काम करने वाले दिहाड़ी कर्मचारी की भी देख-रेख की जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर पेशगी अथवा चिकित्सीय सहायता भी मौलिक उपलब्ध कराते थे। अब श्रम का प्रबंधन किसी इंसान के बजाय 'ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम' के हवाले है। यही एल्गोरिदम तय करता है कि कोई कितना और कब तक कमाएगा!

गिग वर्कर बेरोजगारी के आंकड़े छिपाने के भी काम आते हैं। कई बार देखा गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग रोजगार के अभाव में इस तरह के काम पकड़ लेते हैं, क्योंकि वे समाज में खुद को बेरोजगार के तौर पर रसवा नहीं करना चाहते। इसका एक और दुष्परिणाम है 'खेती के साथ छोटे और मझोले उद्योगों को श्रमिक मिलने कम हो गए हैं। इसकी एक बड़ी सामाजिक वजह है। बेरोजगार नौजवान अपने घर-गांव या आस-पास 'छोटा काम' नहीं करना चाहते। इसके बदले में उन्हें किसी महानगर में अमानवीय स्थिति में रहते हुए अंतिके की 'ड्यूटी' मंजूर है।

साफ है। जितनी तेजी से 'गिग वर्कर्स' की तादाद बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उनकी दिक्कतें भी पनप रही हैं। समय आ गया है कि सरकार यूरोपीय यूनियन की तरह यहां भी गिग वर्कर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए। राजस्थान ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब नई दिल्ली और प्रांतीय सरकारों की बारी है।

प्राप्तिकामी समाज नीति और नियमों से चलते हैं, किसी एल्गोरिदम से नहीं।

@shekharkahin

@shashishekhhar.journalist

जीना इसी का नाम है



तुकाराम हरिभाऊ मुंडे

प्रशासनिक अधिकारी

Last Day To Join Private Channel. **Closing entry for new members Now.**



Click here
to join

◆ Indian Newspaper

- 1) Times of India
 - 2) The Hindu
 - 3) Business line
 - 4) The Indian Express
 - 5) Economic Times
- And more Newspapers

◆ International Newspapers channel

[European, American, Gulf & Asia]

◆ Magazine Channel

National & International
[General & Exam related]

◆ English Editorials

[National + International Editorials]

◆ Lifetime validity at just 19 Rupees



Trust me... this will be your best purchase of 2026

एआय अपडेट

एआय एजंट्सचे ‘डिजिटल बंड’!

वॉशिंग्टन : ओपनएआयकडून प्रशिक्षण घेत असलेल्या सुमारे १,२०० एआय एजंट्सनी एकमेकांशी अनधिकृतपणे संपर्क साधत आठवड्यात ७० हजार संदेशांची देवाणघेवाण केली. यातील ७०० एजंट्सनी ‘हर्गिंग फेस’ या एआय मंचाच्या संगणकीय यंत्रणेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. मेट्रू आणि रेडवुड संस्थांनी केलेल्या तपासातून ही माहिती समोर आली आहे. ही घटना जुलैमध्ये ओपनएआयच्या अंतर्गत चाचणीदरम्यान घडली.

नेमके काय घडले?

ओपनएआय आपल्या एआय प्रणालींची सुरक्षा तपासत होते. यासाठी एजंट्सना वेगळ्या आणि नियंत्रित संगणकीय वातावरणात ठेवण्यात आले होते. मात्र, काही एजंट्सनी या नियंत्रणातून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधले. त्यांनी इंटरनेटशी संपर्क साधला. तसेच एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी अनधिकृत संदेशफलकाची वापर केला आणि काही दिवसांत सुमारे १,२०० एजंट्स एकत्र आले.

‘हर्गिंग फेस’वर हल्ल्याचा प्रयत्न

ओपनएआयने या एजंट्सना सायबर सुरक्षेशी संबंधित काही कामे दिली होती. ही कामे पूर्ण करताना एजंट्सनी संगणकीय यंत्रणेतील त्रुटींचा फायदा घेतला. याला ‘रिवॉर्ड हॅकिंग’ म्हटले जाते. काम पूर्ण करण्यासाठी ठरवलेल्या पद्धतीऐवजी एआयने सोपा किंवा अनपेक्षित मार्ग शोधणे. ही पद्धत वापरत एजंट्सनी ‘हर्गिंग फेस’च्या यंत्रणेत प्रवेश करण्याचे मार्ग शोधले.

हालचाली लपविण्याचा प्रयत्न

या घटनेतील आणखी गंभीर बाब म्हणजे एजंट्सनी आपली काही कृत्ये लपविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आधी केलेल्या संदेशांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्यांच्या कामगिरीचे परीक्षण करणाऱ्या यंत्रणांवरही परिणाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले. यामुळे एआय किती वेगाने सक्षम होत आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे किती कठीण होऊ शकते, याबाबत चिंता वाढली आहे. ओपनएआयने या घटनेला ‘धोक्याची घंटा’ म्हटले आहे. माणसाचे थेट आदेश नसताना ते एकमेकांशी संपर्क साधतात. त्यांची ही कृती धोकादायक ठरू शकते असे कंपनीने म्हटले आहे.



एआय इमेज

सुरक्षेत वाढ

करण्यास सुरुवात

या घटनेनंतर ओपनएआयने एआयच्या प्रशिक्षणातील काही प्रक्रिया मंदावल्या आहेत. एआय एजंट्स नियंत्रित वातावरणातून बाहेर पडू नयेत, यासाठी अधिक कडक सुरक्षा उपाय केले जात आहेत.

इंटरनेटचा प्रवेश, संगणकीय यंत्रणांवरील अधिकार आणि एजंट्सच्या हालचालींवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. या घटनेमुळे एआय अधिक सक्षम होत असताना त्याला सुरक्षित मर्यादित ठेवण्याचे आव्हानही तितकेच मोठे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हॉट-टॉपिक

सत्ता-समीकरणे बदलली; जग बहुध्रुवीय व्यवस्थेच्या दिशेने

जगाच्या विविध भागांत संघर्षाची तीव्रता सध्या वाढताना दिसत आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष, चीन-तैवान तणाव, अमेरिका-इराण- इस्रायल युद्ध थांबण्याची चिन्हे नाहीत. पाक-अफगाणिस्तान सीमेवरच्या चकमकी आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या दाव्यांमुळे आशियातील सुरक्षा परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

आखातामधील अमेरिका-इराण संघर्षाचा अग्नी तीन महिने झाले तरी अद्याप शमलेला नाही. उलट या संघर्षाने बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचे एक गंभीर वास्तव समोर आणले आहे. जुन्या दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या बहुराष्ट्रवादी व्यवस्थेची पकड सैल होत असून जग एका नव्या, अधिक संघर्षमय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. आज जगात एकाच वेळी अनेक संघर्षभूमी धगधगताना दिसतात. रशिया-युक्रेन युद्ध पाचव्या वर्षात पोहोचले आहे. चीन-तैवानमध्ये तणाव आहेच. अमेरिका-इराण संघर्ष संपण्याची चिन्हे नाहीत. चीन-जपान संबंधांमध्ये तणाव आहे. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरही संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचे दावे आणि इंडो-पॅसिफिकमधील वाढती स्पर्धा यामुळे आशियातील सुरक्षा समीकरणे देखील अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

या सर्व संघर्षांची एकमेकांशी सांगड घातली जात आहे. एका प्रदेशातील युद्धाचा परिणाम दुसऱ्या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. जसे रशिया-युक्रेन संघर्षाचा परिणाम आशिया खंडातील गरीब देशांवर होत आहे. एका देशावर लादलेले निर्बंध जागतिक व्यापारावर परिणाम करतात आणि आखातातील ऊर्जा संकट जगभरातील महागाई वाढवू शकते. इराणच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीचा परिणाम १२० देशांच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीवर झाल्याचे जगाने अनुभवले. हीच नव्या जागतिक व्यवस्थेची धोकादायक बाजू आहे.

१९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण झाली. आर्थिक, लष्करी, तंत्रज्ञान आणि राजनैतिक क्षेत्रात अमेरिकेचे निर्विवाद वर्चस्व होते. मात्र गेल्या तीन दशकांत परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे. चीनचा आर्थिक आणि लष्करी उदय, रशियाची आक्रमक विस्तारवादी भूमिका, दक्षिण पूर्व आशियायी देश, भारताचा वाढता प्रभाव, ब्रिक्स आणि ‘एससीओ’सारख्या संघटनांची वाढती ताकद तसेच ग्लोबल साऊथमधील नव्या शक्तींचा उदय यामुळे जग बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे जात आहे. अनेक सत्ता केंद्रे असणे हे स्वतःमध्ये धोकादायक नाही. मात्र या सत्ता केंद्रांमध्ये विश्वासाचा अभाव आणि स्पर्धा वाढली तर परिस्थिती गंभीर बनते. आज नेमके हेच घडताना दिसत आहे.



एआय इमेज

मित्र कोण, शत्रू कोण यापेक्षा राष्ट्रीय हित महत्त्वाचे

आजच्या परिस्थितीला काही अभ्यासकांकडून नव्या शीतयुद्धाची उपमा दिली जाते. मात्र आजचे जग शीतयुद्धाच्या काळातील दोन गटांमध्ये विभागलेले नाही. प्रत्येक देश आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांनुसार वेगवेगळ्या देशांशी सहकार्य करत आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू यापेक्षा कायमस्वरूपी राष्ट्रीय हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत.

आज युद्ध केवळ शस्त्र आणि क्षेपणास्त्रांपुरते राहिलेले नाही. सामुद्रधुनींची नाकेबंदी, आर्थिक निर्बंध, व्यापार शुल्क, तंत्रज्ञानावरील निर्बंध, वैकिंग व्यवहारांवरील नियंत्रण, ‘स्विफ्ट’, सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि दुर्मीळ खनिजे हीदेखील संघर्षाची नवी आयुधे बनली आहेत. आर्थिक परस्परवर्तिल्व कधीकाळी युद्ध रोखण्याचे साधन मानले जात होते; आता तेच दबाव निर्माण करण्याचे साधन बनत आहे.

लाइफ हॅक्स

मेहनत भरपूर, पण संधी हुकते! करू तरी काय?

करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी फक्त मेहनत करणे आणि चांगले काम करणे पुरेसे नसते. आपले काम, योगदान आणि इच्छा योग्य लोकांपर्यंत पोहोचणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.

अनेकांना लहानपणापासून एकच गोष्ट शिकवली जाते. मेहनत करा. चांगले निकाल द्या. सगळ्यांसोबत मिळून काम करा. नम्र राहा. चांगले काम केले की त्याची दखल घेतील, असेही मानले जाते.

एक देश, एक चुनाव बन चुका है सबसे बड़ा मुद्दा

सहमति बनाना और दो तिहाई बहुमत जुटाना कठिन

जेपीसी के सामने सोमवार को करीब सात घंटे तक चली गहन चर्चा ने ‘एक देश, एक चुनाव’ की बहस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। भाजपा, कांग्रेस, सपा और तृणमूल के

सांसदों से बनी यह समिति अब तक कई पक्षों की गवाही दर्ज कर चुकी है। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है-क्या एक साथ चुनाव से लोकतंत्र की वे

बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जिनके इलाज की मांग उठती रही है। या यह सिर्फ एक संरचनात्मक बदलाव है जो असली सवालों को टाल देता है? सरोकार की पड़ताल...

इससे तो दूर नहीं होगा मर्ज

बहस के बीच एक विश्लेषण ने इस मुद्दे को नया आयाम दिया। इसके मुताबिक एक देश, एक चुनाव भारतीय चुनावी व्यवस्था की उन असली बीमारियों को नहीं छूता, जो दशकों से जस की तस बनी हुई हैं। ये हैं-राजनीतिक दलों का असीमित खर्च, मतदाताओं में सीधे नकदी बांटना, राजनीति का अपराधीकरण, और चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। विश्लेषण के अनुसार ये वे व्याधियां हैं जिनके लिए ठोस और लक्षित सुधार चाहिए। ये सिर्फ चुनावी कैलेंडर बदल देने से अपने-आप दूर नहीं होंगी। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि चुनावी चक्र में बदलाव संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से सीधा टकराव पैदा करता है। इससे देश के संघीय ढांचे व क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को संरचनात्मक क्षति पहुंचने का जोखिम है।

यह तर्क जेपीसी में पहुंची विचारक संस्थाओं और विपक्षी सांसदों की चिंताओं से मेल खाता है। यानी असली सवाल सिर्फ यह नहीं कि चुनाव कब हों, बल्कि यह भी है कि चुनावों में पैसे और ताकत की भूमिका कैसे सीमित की जाए। बीते लोकसभा चुनावों पर बेहिसाब खर्च होने की चर्चाएं लगातार होती रही हैं, और आलोचकों का कहना है कि जब तक चुनावी कोष में पारदर्शिता, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर अंकुश और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग जैसे मसलों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक सिर्फ चुनावी कैलेंडर बदलने से लोकतंत्र की गुणवत्ता में बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।

यह विश्लेषण एक तरह से पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। अब तक की चर्चा ज्यादातर इस बात पर केंद्रित रही है कि चुनाव साथ हों या अलग-अलग लेकिन इस विश्लेषण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह पूरी बहस ही मूल समस्या से ध्यान भटका रही है। अगर चुनावी सुधार का लक्ष्य साफ-सुथरी और जवाबदेह राजनीति है, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या संसद और राज्य विधानसभाओं का ज्यादातर समय और राजनीतिक ऊर्जा चुनावी कैलेंडर बदलने की बहस में खर्च करना सही प्राथमिकता है, या फिर चुनावी पैसी और अपराधीकरण जैसे मुद्दों पर पहले ठोस कानून बनाना ज्यादा जरूरी है।

जवाबदेही और मतदाता भागीदारी का सवाल

एक देश, एक चुनाव पर हुए कुछ तुलनात्मक अकादमिक अध्ययनों में यह चिंता भी सामने आई है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाताओं का रुझान राष्ट्रीय मुद्दों की ओर ज्यादा झुक सकता है। इससे राज्य-स्तरीय मुद्दे और स्थानीय जवाबदेही पीछे छूट सकते हैं। दक्षिण

अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों के अनुभवों का हवाला देकर कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि साथ-साथ चुनाव कराने से शासन में स्थिरता तो आती है, लेकिन इससे स्थानीय प्रतिनिधियों की जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि मतदाता राष्ट्रीय लहर में बहकर स्थानीय प्रदर्शन को अनदेखा कर सकते हैं। दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनावों से पैदा होने वाली चुनावी थकान कम होगी और लोग एक ही चुनावी मौसम में ज्यादा सक्रियता से भाग ले सकेंगे। इससे मतदान फीसद बेहतर हो सकता है। यह बहस अभी खुली हुई है और इसका कोई एक रेखीय जवाब उपलब्ध शोध में नहीं मिलता।

भारत के संदर्भ में यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि यहां क्षेत्रीय दलों की भूमिका दुनिया के ज्यादातर एक साथ चुनाव वाले देशों की तुलना में कहीं बड़ी है। भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता वाले राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय सरोकारों को मुखर करने का प्रमुख माध्यम रही हैं। आलोचकों की चिंता है कि अगर राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ हों, तो राष्ट्रीय स्तर के बड़े दल अपने संसदधनों और मीडिया कवरेज के बल पर चुनावी विमर्श पर हावी हो सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों और स्थानीय मुद्दों की आवाज दबने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, कई संवैधानिक विशेषज्ञ और चुनाव-सुधार से जुड़े शोधकर्ता भी इसे गंभीरता से रेखांकित करते रहे हैं।

क्या सिर्फ चुनावी कैलेंडर बदलेगा?

संद के गलियारों से बाहर भी यह बहस उतनी ही तीखी है। सोशल मीडिया पर एक देश, एक चुनाव को लेकर समर्थन और विरोध, दोनों तरह के अभियान लगातार चलते रहे हैं। सरकार समर्थक खेमे का कहना है कि बार-बार चुनाव होने से शासन-प्रशासन की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निरंतरता टूटती है और नेता व नौकरशाही ज्यादातर समय चुनावी समर में रहते हैं। इससे दीर्घकालिक नीतियों पर ठीक से काम नहीं हो पाता। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चुनाव दर-दरसिल लोकतंत्र की जीवंतता की निशानी हैं। हर चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका देता है और इस मौके को कम करने का खतरा बढ़ जाता है। यह चिंता सिर्फ विपक्ष की निर



समावेशी विकास और न्याय की दरकार

सरकारें जब विकास परियोजनाओं का खाका खींचती हैं, तो उसके पीछे देश को शिखर पर ले जाने की छटपटाहट होती है। मगर इस विकास यात्रा का एक स्याह और मार्मिक पहलू भी है। इन तमाम परियोजनाओं की बुनियाद ‘भूमि’ पर ही टिकी है। कृषि-प्रधान भारत में किसी किसान या आदिवासी के लिए जमीन महज मिट्टी या ‘गाटा संख्या’ नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता, पुरखों की धरोहर और पीढ़ियों की आजीविका का अटूट सहारा है।

ऐसे में लोकतंत्र के सामने यक्ष प्रश्न है- विकास की रफ्तार और विस्थापन के दर्द में मानवीय संतुलन कैसे संधे? क्या राष्ट्र-निर्माण के यज्ञ में आहुति हमेशा सबसे कमजोर वर्ग ही देगा, या हम कोई ऐसा समावेशी रास्ता निकाल सकते हैं, जहां प्रगति की कीमत किसी की बेदखली न हो? किसानों को 1894 के ओपनिवेशिक कानून से मुक्ति दिलाने के लिए 2013 में ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम’ लाया गया, जो एक जनवरी 2014 से लागू हुआ। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के आधार पर अधिक मुआवजे, ‘सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन’ और पुनर्वास के साथ निजी परियोजनाओं में 80 फीसद तथा पीपीपी परियोजनाओं में 70 फीसद प्रभावित परिवारों की सहमति को अनिवार्य किया। इसने संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकार को भी महत्वपूर्ण सुरक्षा दी, लेकिन जमीनी हकीकत कई मामलों में इसके उलट दिखाई देती है।

मानवीय भावना का पक्ष

‘सार्वजनिक उद्देश्य’ और कानून में दिए गए अपातकालीन प्रावधानों के तहत कुछ परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अलग हो सकती है। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी विशेष परिस्थितियों के साथ-साथ कानून में निर्धारित अपवादों के कारण सहमति और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के सामान्य प्रावधान हर मामले में समान रूप से लागू नहीं होते। भूमि के समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र और राज्यों, दोनों के स्तर पर कानून और नियमों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विकास की इस तेज रफ्तार में 2013 के कानूनी की मानवीय भावना का प्रभावी क्रियान्वयन आज भी बड़ी चुनौती है। देश में विकास का भूगोल भले ही अलग हो, लेकिन अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी हर दिशा में एक समान है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों

और बिहार जैसे क्षेत्रों में लहलहाती बहुफसली कृषि भूमि एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ली जा रही है, जिससे छोटी जोत वाले किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा होता है। वहीं, राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्य और पूर्वी भारत में कोयला तथा खनिजों का व्यापक खनन हुआ है, जिसने जंगलों और स्थानीय समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है। पश्चिमी भारत में ‘स्वच्छ ऊर्जा’ के नाम पर ‘मेगा सोलर पार्कों’ को लेकर पशुपालकों के पारंपरिक चरागाहों के उपयोग पर भी विवाद सामने आए हैं। दक्षिण में आइटी गलियारे के लिए भूमि परिवर्तन और पूर्वोत्तर में जलविद्युत परियोजनाओं तथा सीमांत सड़कों के विस्तार ने स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण को लेकर बहस छेड़ दी है।



प्रसंगवश

निमिषा सिंह

विकास और मानवाधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। सच्ची प्रगति वह है, जो एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार के साथ-साथ कतार में खड़े आखिरी इंसान का भी हाथ थामकर चले। आर्थिक उड़ान के लिए कारखानों की जितनी जरूरत है, उतनी ही दरकार अन्नदाता के चेहरे पर सुकून की भी है। चमकते बुनियादी ढांचे और लहलहाते खेतों के बीच मानवीय संतुलन ही एक न्यायपूर्ण भारत की मजबूत नींव रखेगा।

पर कारपोरेट नियंत्रण का एक नया और परोक्ष स्वरूप भी दिखाई दे रहा है। कुछ राज्यों में ‘भूमि बैंक’ और दीर्घकालिक लीज जैसे माडल के जरिए औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिए बड़े भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, ‘कान्ट्रैक्ट फार्मिंग’ या अनुबंध खेती के जरिए उत्पादन से लेकर बाजार तक कारपोरेट भागीदारी बढ़ी है। ऐसे माडलों में पारदर्शिता, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और भूमि-उपयोग के सामाजिक प्रभाव को लेकर संवाक्य उठते रहे हैं। विकास की आड़ में बढ़ती यह प्रवृत्ति उस भविष्य की आशंका पैदा करती है, जहां स्वतंत्र अन्नदाता अपनी ही

जमीन पर आर्थिक रूप से निर्भर मजदूर बनने को मजबूर हो सकता है।

अधिकारों की पहचान

आबादी में लगभग 8.6 फीसद होने के बावजूद, ऐतिहासिक अध्ययनों में विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में आदिवासियों की हिस्सेदारी कई क्षेत्रों और अवधि में असंगत रूप से अधिक पाई गई है। उनके लिए ‘जल-जंगल-जमीन’ महज आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि उनकी आत्मा और सांस्कृतिक पहचान हैं। वनाधिकार कानून ग्राम सभाओं को वनाधिकारों की पहचान और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। इसके बावजूद कोयला खदानों, बड़े बांधों और अन्य परियोजनाओं के दौरान वनाधिकारों तथा ग्राम सभा की प्रक्रियाओं के पालन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। 2019-20 से 2023-24 के बीच 95,724.99 हेक्टेयर वन भूमि को विभिन्न गैर-वाणिजी उपयोगों के

बेमतलब की बात

मिर्जा गालिब के एक शेर की पंक्ति है, जो पिछले सप्ताह बहुत आसानी मुझे पंक्ति है- ‘शर्म तुमको मगर नहीं आती’। यह पंक्ति तब याद आई, जब वंदे मातरम् को राजनीतिक हथियार बनाया गया।

पहले इस हथियार से सोनिया गांधी पर चार हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले प्रवक्ताओं ने कहा उस दिन कि वह कांग्रेस के मुख्यालय में झंडा फहराया जा रहा था, तब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् के अंतिम हिस्से को गाने से पार्टी कार्यक्रमों को मना किया। याद कीजिए, किस तरह सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ खड़ी दिखी थीं उस समय और कैसे अचानक उन्होंने इशारा किया। इसे भाजपा के योद्धाओं ने ऐसा मान लिया कि वह उन अंतिम पंक्तियों को न गाने के लिए कह रही थीं, जिनमें हिंदू देवियों की वंदना की जाती है।

यह बात जब कांग्रेस के मीडिया शेरों तक पहुंची, तो पहले उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। सोनिया गांधी सिर्फ कह रही थीं कि कांग्रेस अध्यक्ष की उम्र का लिहाज करके उनके लिए कुर्सी लाई जाए। बाद में कांग्रेस के आला नेताओं ने अपना मन बदलकर कहा कि वंदे मातरम् की देवी वंदना वाली पंक्तियों का न गाने के लिए वर्ष 1937 में कांग्रेस ने फैसला किया था, ताकि पार्टी के मुसलिम सदस्यों की आस्था को चोट न पहुंचे। मुसलमानों को आदेश है उनके पैगंबर से कि वंदना सिर्फ अल्लाह ही हो सकती है। खूब हल्ला मचाया इस बात को लेकर भाजपा के प्रवक्ताओं ने यह याद दिलाकर कि अब कानून बन गया है, जिसके तहत राष्ट्र गान या गीत का पूरा न गाना जाना अपराध माना जाएगा।

यह हल्ला चल ही रहा था कि राहुल गांधी ने पुणे में महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनुस्मृति का हवाला दिया और सलाह दी कि उन्हें अपना अस्तित्व किसी पुरुष से नहीं जोड़ना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला पहले बेटी होती है, फिर पत्नी और फिर माँ, यानी उसकी जीवन का आधार यही चीजें होनी चाहिए। राहुल

गांधी इन दिनों महिलाओं के बहुत बड़े हमदर्द हैं, इसलिए उन्होंने जवाबी होकर कहा कि महिलाओं को इस किस्म की ‘पेट्रियार्की’ (पितृसत्ता) को अपने जीवन से बाहर फेंक देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि ऐसी सोच से कांग्रेस अपने आपको दूर रखती है, लेकिन यह सोच संधियों की है। इस वक्तव्य के कुछ ही घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ताएं दिखी टीवी और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बुरा-भला कहती



वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

हमारे राजनेताओं ने इतना बुरा हाल करके रखा

विचारों के स्रोत

पीट में हो दर्द तो न करें उपेक्षा

कि सी भी नए विषय पर विचार करते हुए जब हम उसका विश्लेषण करते हैं और किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो क्या वह उस खास विषय या संदर्भ का अंतिम सच होता है? ऐसा नहीं है। ठीक उसी विषय पर सोचते हुए कोई अन्य व्यक्ति अपने विश्लेषण के क्रम में कोई दूसरी स्थापना दे रहा होता है और वह भी अपने संदर्भ में सही होता है। तब सवाल यह उठता है कि एक विषय पर दो या दो से ज्यादा लोगों के अलग-अलग निष्कर्ष क्या पाठकों को प्रमित नहीं करेंगे या फिर उसके सामने एक जटिल बाधा नहीं खड़ी होगी, जिसमें उसके लिए उस मसले पर कोई स्पष्टता कायम कर पाना मुश्किल होगा? ऐसा संभव है। मगर यह भी संभव है कि इसी विषय पर विचार करने का एक नया केंद्र भी खुल जाए और उसे नए तरीके से समझने में मदद मिले।

दरअसल, यह स्थिति उस विचार का प्रतिरूप है, जिसे 'मुंडे-मुंडे मतिभिन्ना' के रूप में जाना जाता है। सोचना और विचार करना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर सोचते हुए अपनी पृष्ठभूमि से संचालित होता है। यानी किसी खास मुद्दे पर सोचते हुए यह संभव है कि उसकी व्याख्या या उसका विश्लेषण उसे जिस निष्कर्ष तक ले जाए, उस पर उसका वह आग्रह हावी हो, जो जन्म के बाद परिस्थितियों की वजह से उसके समूचे सोचने-समझने के ढांचे का हिस्सा बना।

प्रक्रिया की सहजता

अब सवाल है कि सोचने या विचार करने की प्रक्रिया की बुनियाद आखिर क्या होती है। सच यह है कि सोचना या विचार करना वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जिनके बीच एक महीन परत होती है और वही परत इन्हें एक-दूसरे से थोड़ा अलग करती है। किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करके उसमें डूबना सोचने को प्रतिबिंबित करता है, जो व्यक्ति के भीतर एक व्यापक और सामान्य प्रक्रिया है। वहीं विचार करना एक ज्यादा विशिष्ट और संरचित प्रक्रिया है, जिसे सोचने के बाद की कड़ी कहा जा सकता है। जिस तरीके

से किसी समस्या पर विचार कर उसका समाधान तलाशने और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, उसे विचार के दायरे में देखा जाता है। इसके एक उद्देश्य होता है, सामान्य तौर पर गौर करें, तो ऐसा कोई वक्त नहीं होता, जब हमारे मन-मस्तिष्क में सोचने की प्रक्रिया रुकती हो। यानी यह हमेशा जारी रहती है। निश्चित तौर पर इसका स्रोत हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, गतिविधियां, अनुभव, भावनाएं और कल्पनाएं होती हैं। इसके अलावा, हमारी विचार प्रक्रिया हर उस चीज से प्रभावित होती है, जो हमारे दायरे में होती है। यानी जिस तरह हमारी दृष्टि पहुंच पाती है, हम उसके बारे में जान पाते हैं। उसके बाद किसी न किसी न रूप में वे हमारे चेतन मन में गतिमान रहती हैं और उसका प्रभाव भी तैयार हो रहा होता है। स्वाभाविक ही इस सबका असर हमारे व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। हमारे सोचने का केंद्र जिस भाव और विचार से संचालित होगा, हमारा व्यक्तित्व उसी दिशा में आगे बढ़ेगा।

वेतना का उत्स

यह बेवजह नहीं है कि नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के सामने चाहे-अनचाहे कई तरह की समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। कई बार वह हताशा या निराशा के अंधेरे कोने में जाने भी मजबूर हो जाता है। जाहिर है, सोचने की प्रक्रिया और दिशा पर बहुत कुछ ऐसा निर्भर करता है, जो हमारी जीवन स्थितियों को तय करे। ऐसे दृश्य आम हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने के पीछे उसकी सोच को समाज में मिली जगह देखी जाती है। और दूसरी ओर, अपने सोचने की कलुषित दृष्टि की वजह से ही कोई व्यक्ति समाज में अस्वीकार्य होता है और उसके बारे में आमतौर पर लोगों की धारणा नकारात्मक ही होती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि तथ्यात्मक रूप से किसी विषय की व्याख्या एक हो सकती है, लेकिन उसका

विचार एक परिवर्तनशील भाव है, जो हमारे आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित और कई बार संचालित हो सकता है। हमारी निजी जरूरतें, इच्छाएं, और लक्ष्य भी विचारों के सृजन को प्रेरित करते हैं। हमारे पूर्वाग्रह, विश्वास और आदतें भी विचारों को प्रभावित करते हैं

विश्लेषण इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के भीतर निर्मित चेतना का उत्स क्या है और उस पर कितना किस विचार का प्रभाव है। कई बार नई पीढ़ी के सोचने का तरीका अलग दिखता है, लेकिन यह परिस्थितिगत और सुविधा का नतीजा भी हो सकता है। संभव है कि यह अलग हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसकी दृष्टि ने ऐसा कुछ खोज लिया, जिसकी कल्पना भी उसके बुजुर्गों ने नहीं की थी। हां, अनुभवों का पाठ निश्चित रूप से एक ठोस कारक होता है, जिसकी अहमियत की अनदेखी करना संभव नहीं है, लेकिन अनुभव तभी सार्थक होते हैं, जब उनका विस्तार हो। यानी अगर किसी अनुभव से प्राप्त ज्ञान मानव समाज को बेहतरी देता है, उसके भविष्य को ज्यादा मानवीय और संवेदनशील बनाता है, तो उसकी अहमियत उस साहसपूर्ण विचार या सोचने की दिशा से ज्यादा महत्पूर्ण है, जो भावना या उतेजना में आकर किसी विषय पर अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया दे देता है, जबकि उसके दूरगामी असर खुद उसे भी प्रभावित कर सकते हैं।

तार्किक प्रक्रिया

दरअसल, विचार एक नियोजित और तार्किक प्रक्रिया होते है, जो समय की चुनौतियों और समस्याओं का हल निकालने में मदद करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचार भी एक परिवर्तनशील भाव है, जो हमारे आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित और कई बार संचालित हो सकता है। हमारी निजी जरूरतें, इच्छाएं, और लक्ष्य भी विचारों के सृजन को प्रेरित करते हैं। हमारे पूर्वाग्रह, विश्वास और आदतें भी विचारों को प्रभावित करते हैं। हालांकि हमारी ऐसी धारणाएं भी सामाजिक परिवेश की ही उपज होती हैं, जो हमारे सोचने-समझने और विचार करने की दिशा को प्रभावित करती हैं।

उमस में बढ़ते विषाणु जुकाम का जोखिम

आम तौर पर लोग सर्दियों में जुकाम से पीड़ित होते हैं। मौसम बदलने पर लोग गर्मियों में भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। मौसम के उतार-चढ़ाव वाले महीनों खासतौर से अगस्त और सितंबर में जब उमस काफी बेचैन करती है, उस समय जुकाम ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। दरअसल, इन दिनों नमी की वजह से फंगस और विषाणु बढ़ जाते हैं जिससे संक्रमित होने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसी संक्रमण के कारण लोग जुकाम से पीड़ित होते हैं। शुरुआत गले में खराश से होती है। मगर इसके साथ अगर खांसी भी होने लगे, तो यह समस्या बढ़ा देती है। इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। अगर समय रहते सतर्क हो जाएं, तो इस मौसम में होने वाले जुकाम पर काबू पाया जा सकता है।

संक्रमण के नतीजे

सर्दी-जुकाम किसी भी मौसम में हो, यह आम तौर पर संक्रमण की वजह से ही होता है। यह एक तरह से वायरल संक्रमण ही है। एंटेरोवायरस (विषाणुओं का एक बड़ा समूह) के कारण होने वाला संक्रमण सर्दियों में होने वाले सर्दी-जुकाम की तरह ही लक्षण पैदा करते हैं। इस दौरान गले में खराश तो होती ही है, नाक बहने के साथ हल्का बुखार भी हो जाता है। उमस के महीनों में हुआ जुकाम अधिक समय तक बना रहता है। अगर इसका सामान्य उपचार न हो, तो यह दिक्कत पैदा करता है।

बदलते तापमान का असर

इन दिनों तापमान बदलता रहता है। बाहर गर्म और कमरे का तापमान ठंडा होने से शरीर का अपना स्वाभाविक तापमान प्रभावित होता है। अचानक आए इस बदलाव का शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर असर पड़ता है। इससे विषाणुओं को हमला करने का अवसर मिल जाता है। थोड़ा-सा बीमार पड़े नहीं कि संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। धीरे-धीरे व्यक्ति जुकाम की चपेट में आने लगता है।

इसलिए इन दिनों भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। दरअसल, प्रदूषण के साथ उमस संक्रमण को बढ़ा देता है।

लक्षणों की पहचान

उमस के दिनों में जुकाम एकदम से नहीं होता। इसकी भूमिका कुछ दिनों पहले से बन रही होती है। सबसे पहला लक्षण गले में हल्की-सी खराश के साथ दिखता है। कफ की भी शिकायत रहती है। नाक में जलन और छींक बताती है कि जुकाम होने वाला है। शरीर का तापमान बढ़ना और सिर में भारीपन महसूस होना भी लक्षण है। कई बार बुखार भी हो सकता है। इस दौरान ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। भोजन से पहले दोपहर में या शाम को हरी पत्तेदार सब्जियों और टमाटर, अदरक-लहसुन से सूप बना लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए पौष्टिक मगर सुपाच्य आहार लें। खट्टी और ठंडी चीजों का सेवन न करें। सीने में दर्द, सांस लेने में घरघराहट होने और खांसी बढ़ने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

(यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

जिद और जरूरत को समझना जरूरी

कि सी भी परिवार में बच्चे खुशियों का केंद्र होते हैं। उनकी इच्छाएं और छोटी-छोटी मांगें माता-पिता के जीवन में विशेष महत्त्व रखती हैं। हर माता-पिता चाहते हैं कि वे अपने बच्चे को अपनी हैसियत के हिसाब से सुविधाएं मुहैया कराएं। मगर बच्चों की हर जिद पूरी करना क्या वास्तव में उनके हित में है? दरअसल, बच्चे की हर जिद पूरी करने से उसकी जरूरत और चाहत में अंतर समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह धैर्य रखने और

Last Day To Join Private Channel. **Closing entry for new members Now.**



Click here
to join

◆ Indian Newspaper

1) Times of India

2) The Hindu

3) Business line

4) The Indian Express

5) Economic Times

And more Newspapers

◆ International Newspapers channel

[European, American, Gulf & Asia]

◆ Magazine Channel

National & International

[General & Exam related]

◆ English Editorials

[National + International Editorials]

◆ Lifetime validity at just 19 Rupees 📌

Trust me... this will be your best purchase of 2026